

Issue-06/Vol-19/June 2018

ISSN No. 2319 - 5908

An International Multidisciplinary Refereed Research Quarterly Journal



शोध संदर्श

SHODH SANDARSH

शिक्षा, साहित्य, इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, वाणिज्य आदि

Editor :

Dr. V.K. Mishra
Dr. V.P. Tiwari

Chief Editor :

Dr. V.K. Pandey



विविध ज्ञान - विज्ञान - विषय का मन्थन एवं विमर्श ।
नव - उन्मेषी दशा - दिशा से भरा 'शोध - सन्दर्श' ।।

- आधुनिक हिन्दी उपन्यासकारों के साहित्य में सूक्ति विवेचन-डॉ० वसन्त कुमार बंसल 112-115
- एक महान भारतीय आलोचक : विचारक डॉ. रामविलास शर्मा-डॉ० आनन्द स्वरूप शुक्ला एवं हरिओम शरण त्रिपाठी 116-118
- व्यक्ति नाम चयन : उद्देश्य और कारण-डॉ० राकेश नारायण द्विवेदी 119-125
- भगवतीचरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा : एक अवलोकन-अनिल कुमार सिंह 126-127
- तुलसीदास की रामचरितमानस में जीवन मूल्य-डॉ० पिकी पारीक 128-131
- सुमित्रानन्दन पंत की काव्य-शिल्प विषयक अवधारणायें-प्रशान्त कुमार राय 132-135

History

- पूर्व मध्यकाल में शूद्रों के सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तन का अवलोकन-प्रमोद कुमार 136-139
- प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखण्ड की महिलाओं का योगदान -डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय एवं डॉ. मनोज सिंह यादव 140-143
- मिथिला के दर्शन में वाचस्पति मिश्र प्रथम की रचनाओं का अवदान-डॉ० सुनील कुमार 144-148
- स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश के अभ्युदय में भारत का योगदान एक पुनरावलोकन -डॉ. मनोज सिंह यादव 149-151
- दुर्गा सप्तशती में मन्त्र एवं तन्त्र का समन्वय-डॉ० विमलेश कुमार पाण्डेय 152-155

Education

- प्राथमिक शिक्षा : चुनौतियाँ एवं वर्तमान परिदृश्य-डॉ० विनोद कुमार यादव 156-158
- वर्तमान शिक्षा में अध्यापकों द्वारा प्रयोग किये जानेवाले नये तकनीकी का प्रयोग एवं महत्त्व-अमित सिंह 159-163
- माध्यमिक स्तर के अध्यापकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन-डॉ० अखिलेश कुमार सिंह 164-166
- आचार्य विनोबा भावे जी और नये मूल्यों की स्थापना-कुसुम देवी 167-168
- न्याय दर्शन में निहित शैक्षिक विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता-शैलजा राय 169-171
- लिंग भेद एवं व्यक्तित्व-डॉ० सतीश चन्द्र द्विवेदी 172-175
- गुणयुक्त शिक्षण-डॉ० अखिलेश कुमार 176-177
- वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त नये तकनीकी आयाम-प्रतिभा सिंह 178-182
- महिला सशक्तिकरण : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में-दुर्गेश कुमार 183-186
- सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की शान्ति शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति तथा उनके पाठ्यक्रम में शान्ति शिक्षा के समावेशन का अध्ययन-डॉ० बृजेन्द्र कुमार सिंह 187-191
- प्राथमिक शिक्षकों के दायित्वबोध का अध्ययन -राहुल कुमार यादव 192-195
- Implementation of Right to Education Act-Dr. Girja Prasad Mishra 196-198

Sociology

- गोंड जनजाति में सामाजिक परिवर्तन (शहडोल जिले के विशेष संदर्भ में) 199-204

प्राथमिक शिक्षकों के दायित्वबोध का अध्ययन

राहुल कुमार यादव*

संक्षिप्त सारांश—प्रस्तुत शोधपत्र के लिये अध्ययन सर्वेक्षण विधि द्वारा सम्पन्न किया गया, जिसमें कुल 200 अध्यापकों का चयन बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जनपद जौनपुर द्वारा प्रदत्त सूची से किया गया। विद्यालयों का चयन यादृच्छिक चयन पद्धति द्वारा किया गया आंकड़ों का एकत्रीकरण मानकीकृत उपकरण से किया गया। जिसका विश्लेषण सी.आर. मूल्य तथा प्रसरण विश्लेषण द्वारा किया गया। परिणाम व्यक्त करता है कि प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों में दायित्वबोध के प्रति न्यूनता है, साथ ही महिला शिक्षिकाएँ दायित्वबोध के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक दिखीं।

मुख्य शब्द—दायित्वबोध, विवरणात्मक, सर्वेक्षणात्मक, प्रसरण विश्लेषण, वैयक्तिकता, प्रबंधतंत्र एवं उत्तरदायित्व।
प्रस्तावना : वर्तमान समय में शैक्षिक जगत की जटिलतायें बढ़ती ही जा रही हैं। जिस तरह अध्यापकों की तन वृद्धि हो रही है, उसी हिसाब से उनमें दायित्वबोध के प्रति कमी दृष्टिगोचर हो रही है। प्रशासनिक अमला में केवल खानापूर्ति में लगा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की स्थिति यहाँ तक देखने को मिल रही है कि उसकी नेयुक्ति कहीं है और उसके स्थान पर कोई दूसरा कार्य कर रहा है। प्रत्येक स्तर पर हर जिम्मेदार कर्मचारी और अधिकारी का हिस्सा निर्धारित है और अध्यापक किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त है। ऐसा नहीं है कि सभी अध्यापक सा ही कर रहे हैं, बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो समर्पित भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी तन्मयता से करते हैं। हमारा प्राथमिक अध्यापक प्रदेश सरकार वह हिस्सा है, जिसे कहीं भी और किसी भी स्थान पर शिक्षणेतार दायित्वों यथा चुनाव ड्यूटी, कोविड ड्यूटी, जनगणना, विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी दायित्वों आदि के निर्वहन हेतु और खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्बन्धी कार्यों हेतु सम्बद्ध कर दिया जाता है। वास्तव में प्राथमिक अध्यापक का मूल कार्य अपने वास्तविक दायित्वों के स्थान पर प्रशासनिक व अन्य विभागीय कार्यों को पूरा करना होता जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान शिक्षणेतार कार्यों को ही प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अध्यापक अपने मूल दायित्व से चाहे-अनचाहे विमुख हो जाता है।

मेरी रुचि प्राथमिक स्तर पर अध्ययन करने की इसलिये हुई क्योंकि वर्तमान सरकार नयी शिक्षा नीति 2020 को लेकर उत्साहित है। जिसमें आधार भूत शैक्षिक संरचना में 03 वर्ष की आयु से ही बच्चे को विद्यालय भेजने के लिये कहा गया है। इसके बाद से लेकर कक्षा 8 तक के प्राथमिक अध्यापक बालक को मूल संक्रियाओं से परिचित कराते हुये उसे अपेक्षाकृत जटिल अवधारणाओं से अवगत कराते हुये अग्रिम कक्षाओं हेतु तैयार करेंगे। इसी दायित्वबोध के परीक्षण हेतु शोधकर्ता अध्ययन करना चाहता है।

अध्ययन की पृष्ठभूमि : भारतीय संस्कृति में शिक्षक के अनेक पर्यायवाची हैं जैसे—गुरु, आचार्य, अध्यापक, उपाध्याय आदि। गुरु का शाब्दिक अर्थ है अज्ञान रुपी अन्धकार से ज्ञान रुपी प्रकाश की ओर ले जाने वाला। उपाध्याय से तात्पर्य अपने समक्ष बैठकर अध्ययन कराने वाला, आचार्य का अर्थ उत्तम आचरण से आचरण की शिक्षा देने वाला और अध्यापक का अर्थ है अध्यापन कार्य करने वाला। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक शब्द सबसे उपयुक्त जाना जाता है। जिसका अर्थ है कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला तथा उसे सुचारु रूप से सम्पन्न करने वाला।

शिक्षक और छात्र के सम्बन्ध पिता-पुत्र तुल्य होते थे। दोनों एक दूसरे के सहभागी हुआ करते थे। गुरु को एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के रूप में सर्वोपरि माना जाता था। शिक्षक का यह कर्तव्य समझा जाता था कि वह अपने उच्च कोटि के आचरण से उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करे।

* असिस्टेंट प्रोफेसर, राजा हरपाल सिंह मराठा

लेकिन वर्तमान काल में शिक्षक की भूमिका बालक के निर्माण करने, देश को उत्तम नागरिक प्रदान करने व राष्ट्र के नव निर्माण के लिए आवश्यक दृष्टि से पथ प्रदर्शक के रूप में आ गई है। अब छात्र के व्यक्तित्व विकास के लिये शिक्षक के रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भौतिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर प्रयास करना है। यह एक कहावत है कि— अच्छे कलाकार के हाथ में बिगड़ा हुआ वाद्ययंत्र भी ठीक तरह से बजता है।

सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन : मिश्रा; के. एस. (1988) ने भी अपने अध्ययन में शिक्षकों में शिक्षा के प्रति दायित्वबोध में चिंता व्यक्त की है। यादव (2005) ने भी दायित्वबोध पर अध्ययन से पाया कि शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की जबाबदेही में समानता है। सन्तोष (2009) ने अपने अध्ययन में दायित्वबोध के प्रति शिक्षक शहरी शिक्षकों की जबाबदेही में समानता है। नलिनी (2010) ने अपने अध्ययन से पाया कि विज्ञान विषय के शिक्षक शिक्षिकाओं में अन्तर व्यक्त किया है। एन. पी. (2012) ने बताया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का दायित्वबोध में अन्य शिक्षकों से उच्च स्थिति में थे। गार्डन (2015) जबाबदेही को शैक्षिक गुणवत्ता की दृष्टि से बताया कि ग्रामीण शिक्षकों में दायित्वबोध अधिक थे। साइमन (2017) ने निवार्य शर्त कहा है। विंगमोर (2016) ने जबाबदेही को उत्तरदायित्व का आधार बताया है। बेंगबिट (2018) ने जबाबदेही को उत्तरदायित्व का मुख्य स्रोत माना है। जोसेफ (2019) ने शिक्षक की जबाबदेही को राजनैतिक जबाबदेही से उच्च माना है। टौड (2020) ने दायित्वबोध के लिये प्रयोगात्मक प्रणाली को महत्वपूर्ण आधार बताया है। रवि (2021) ने दायित्वबोध क्षेत्रगत अंतर शिक्षकों के मध्य न होने की वकालत की है।

अध्ययन का उद्देश्य : प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य था कि “प्राथमिक स्तर के शिक्षकों में दायित्वबोध का अध्ययन करना।”

परिकल्पनायें : प्रस्तुत अध्ययन में शून्य परिकल्पना परीक्षण हेतु बनायी गयी थी कि “प्राथमिक स्तर पर शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के दायित्वबोध में सार्थक अन्तर नहीं है।”

विधि परक विज्ञान : प्रस्तुत शोध-पत्र सम्बन्धी अध्ययन विवरणात्मक प्रकार के सर्वेक्षण विधि से जौनपुर जनपद के प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की समष्टि पर यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि द्वारा चयनित 200 अध्यापकों पर किया गया था। जो क्षेत्र व लिंग के आधार पर आधे-आधे थे। शोध आँकड़ों का संकलन मानकीकृत उपकरण से किया गया था। जिसका निर्माण शशिकान्ति त्रिपाठी व कल्पना पाण्डेय ने किया था, जिसकी विश्वसनीयता गुणांक 0.63 और वैधता गुणांक 0.56 था। इसमें दायित्वबोध का मापन छात्रों, अभिभावकों, विद्यालय तथा समाज के प्रति की जाती है। आँकड़ों का विश्लेषण सी. आर. मूल्य द्वारा किया गया था।

शोध के प्रकार : प्रस्तुत अध्ययन विवरणात्मक प्रकार का अध्ययन है। वेस्ट के शब्दों में, “विवरणात्मक अनुसंधान वर्तमान स्थिति की व्याख्या तथा विवेचना प्रस्तुत करता है। इसका सम्बन्ध उन स्थितियों तथा सम्बन्धों से है, जिनका अस्तित्व वर्तमान में है अथवा उन व्यवहारों से है, जो कि प्रचलित हैं व उन दृष्टिकोणों अथवा अभिवृत्तियों से है, जिनका प्रचलन है व ऐसे प्रक्रमों से है, जो कि सक्रिय हैं तथा अपने प्रभावों से हैं, जिन्हें अनुभव किया जा रहा है अथवा उपनीतियों से है, जो कि विकासशील हैं।

स्पष्टतः ऐसे अनुसन्धान का स्वरूप अत्यधिक व्यापक, विस्तृत तथा विषम होता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अध्ययन—जैसे सर्वेक्षण, विकासात्मक अध्ययन, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, अन्तर्वस्तु अध्ययन, जनमत अध्ययन, सहसम्बन्ध अध्ययन व उन्नति अध्ययन आदि सम्मिलित रहते हैं। इन विभिन्न तथा विविध अध्ययनों को एक ही प्रकार के अनुसन्धान के अन्तर्गत सम्मिलित करना निश्चिततः सुविधाजनक तथा वैधानिक है।

शोध विधि : प्रस्तुत अध्ययन विवरणात्मक प्रकार का अध्ययन है। जिसमें वर्तमान से सम्बन्धित घटनाओं का विश्लेषणात्मक विवरण होता है। इसकी सर्वेक्षण विधि के तहत आँकड़ों का संकलन करते हुए निरीक्षण किया जाता है। जिसमें आँकड़ों की सहायता से वर्तमान घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। सर्वेक्षण का इंगलिश रूपान्तर Survey दो शब्दों Sur+vey से मिलकर बना है। मूल रूप से, Sur (Sor) तथा very (veeir) पर आधारित है, जबकि Sor का अर्थ over तथा veeir का अर्थ to look होता है। इस प्रकार Survey का सम्मिलित मूल अर्थ ‘ऊपर से देखना’ अवलोकन अथवा अन्वेषण होता है। शब्द कोष के अनुसार भी सर्वेक्षण का अर्थ प्रायः सरकारी

आलोचनात्मक निरीक्षण होता है, जिसका उद्देश्य एक क्षेत्र की किसी एक स्थिति अथवा उसके प्रचलन के सम्बन्ध में यथार्थ सूचना प्रदान करना होता है, जैसे विद्यालयों का सर्वेक्षण।

समष्टि : किसी अध्ययन की वह सम्पूर्ण ईकाई समष्टि कहलाती है। जिस पर शोध कार्य आधारित होता है। प्रस्तुत अध्ययन जनपद जौनपुर के समस्त प्राथमिक स्तर पर अध्यापन करने वाले ही शिक्षक ही समष्टि के रूप में परिभाषित किये गये थे।

न्यादर्श : शोधकर्ता द्वारा समय तथा धन के अभाव के कारण आगमनात्मक प्रविधि अपनाते हुए समष्टि का एक छोटा समूह अध्ययन हेतु चयनित किया जाता है। जिसे न्यादर्श कहते हैं। न्यादर्श पूरी समष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत अध्ययन में जौनपुर जनपद के यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि द्वारा कुल दो सौ अध्यापकों का चयन किया गया था, जिनके वितरण का आधार क्षेत्र व लिंग था। अनुसंधान में प्रायः प्रचलित विधि का प्रयोग सम्भव नहीं होता, क्योंकि इस विधि के द्वारा अध्ययन धन, समय व सुविधा के दृष्टिकोण से सापेक्षिकतः अत्यधिक खर्चीला व जटिल होता है। इसके विपरीत, व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से अप्रसंचलिक विधि द्वारा अध्ययन पर्याप्त मात्रा में सुगम, सरल, अल्प-व्ययी तथा अपेक्षाकृत शुद्ध रहता है। अप्राचलिक विधि के अध्ययन का आलोचनिक प्रतिदर्श होता है।

प्रतिदर्श एक समष्टि का वह अंश होता है। जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का स्पष्ट प्रतिबिम्ब रहता है। पी० वी० यंग के शब्दों में एक प्रतिदर्श अपने समस्त समूह का एक लघु-चित्र होता है।

यदि समष्टि का स्वरूप सजातीय रहता है, तब प्रतिदर्श के चयन में विशेष कठिनाई नहीं होती, परन्तु समष्टि का स्वरूप विषम जातीय रहता है, तब प्रतिदर्श की इकाईयों के चयन के लिए प्रतिचयन प्रक्रिया का उपकरण करना पड़ता है।

शोध उपकरण : प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संकलन हेतु शोध उपकरण मानकीकृत किये गये थे।

दायित्वबोध मापनी : शिक्षण दायित्वबोध मापनी चार आयामों पर बनायी गई है, आयामों के अनुसार विवरण निम्नलिखित है।

1. छात्रों के प्रति दायित्वबोध कथन	:	2,6,10,14,18,22,26,30,34,38
2. अभिभावकों के प्रति दायित्वबोध कथन	:	4,8,12,16,20,24,28,32,36,40
3. विद्यालय के प्रति दायित्वबोध कथन	:	1,5,9,13,17,21,25,29,33,37
4. समाज के प्रति दायित्वबोध कथन	:	3,7,11,15,19,23,27,31,35,39

कुल 40 कथन

प्रत्येक कथन पर तीन विकल्प दिये गये हैं, जिसमें सही कथन पर सही का निशान, नहीं पर गुणे का निशान तथा गलत पर शून्य अंक दिया जाता है यानि सही पर 02, नहीं पर 01, गलत पर 00 अंक प्रदान किया जाता है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक 0.63 परीक्षण पुनः परीक्षण द्वारा ज्ञात किया गया और आंतरिक वैधता 0.27 प्राप्त हुई। व्याख्या के लिये प्राप्त आंकड़ों को स्टेन प्राप्तांक में बदलते हैं, जिसमें 05 से 06 स्टेन अंक समान इसके नीचे निम्न तथा इसके उपर 10 तक उच्च कही जाती है।

विश्लेषण तथा व्याख्या : प्रस्तुत अध्ययन हेतु एकत्र किये गये आंकड़ों की विश्लेषण व व्याख्या निम्नलिखित है।

तालिका-1

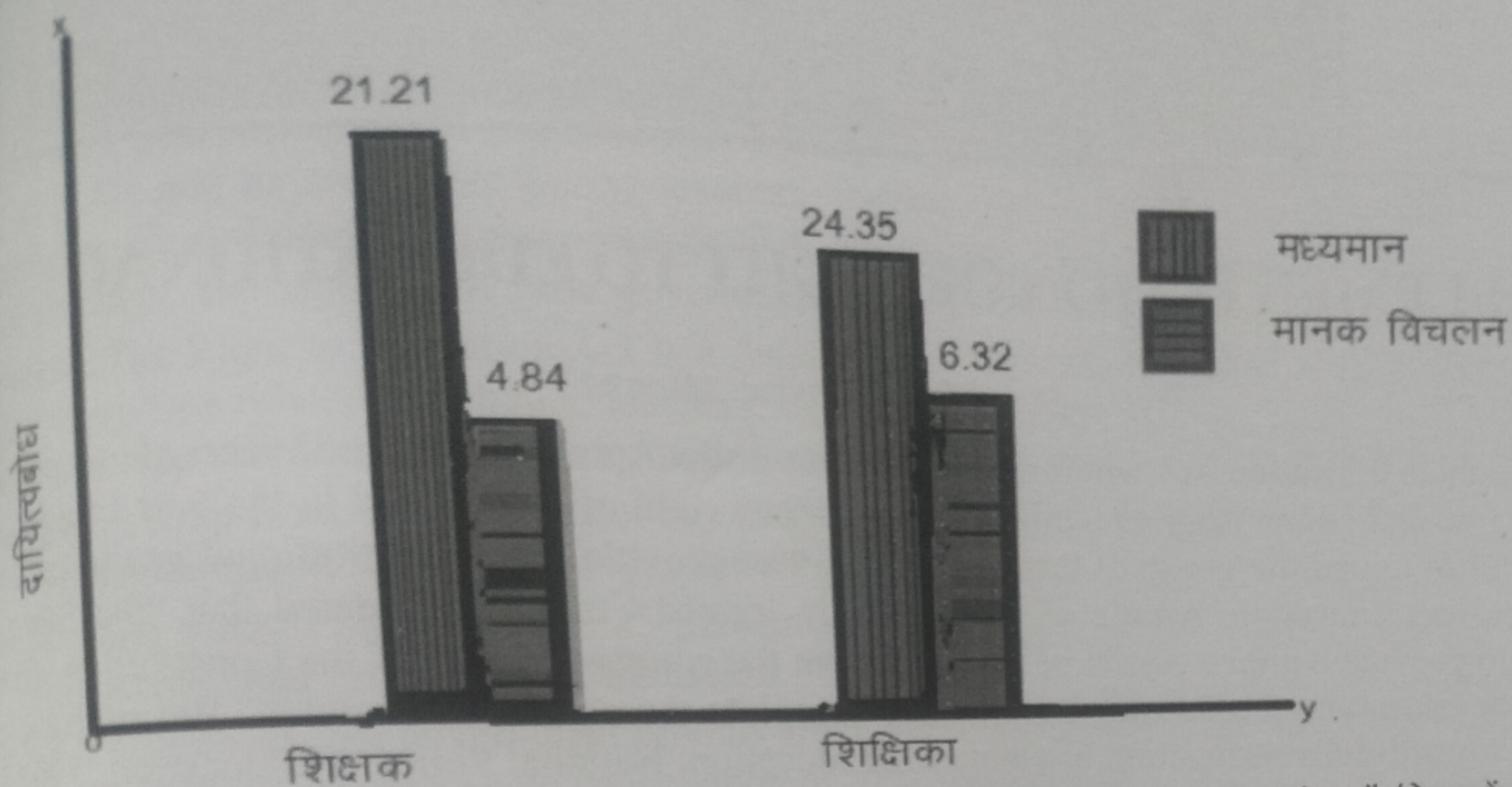
शिक्षक-शिक्षिकाओं के दायित्वबोध सम्बन्धी सी. आर. मूल्य विश्लेषण तालिका

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	सी. आर. मूल्य	P
शिक्षक	125	21.21	4.84	0.82	3.82	.01
शिक्षिका	75	24.35	6.32		सार्थक .01	

$df (198) \text{ at } .01 = 2.59$

उपरोक्त विश्लेषण तालिका से स्पष्ट है कि शिक्षकों का उत्तरदायित्व पर मध्यमान 21.21 तथा मानक विचलन 4.84 है।

मूल्य 3.82 है जो $df(198)$ के .01 सार्थकता स्तर 2.59 से अधिक है जिसके आधार पर शून्य परिकल्पना खारिज हो जाती है और स्पष्ट होता है कि शिक्षिकायें उच्च दायित्वबोध वाली होती हैं।



शोध निष्कर्ष : प्राथमिक स्तर पर यह शोध निष्कर्ष निकला कि शिक्षिकायें दायित्वबोध में शिक्षकों की तुलना में उच्च स्तर पर हैं।

शैक्षिक निहितार्थ : इस पत्र के माध्यम से शोधकर्ता कहना चाहता है कि प्राथमिक शिक्षा समाज व राष्ट्र के लिए बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भी गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिये। चूँकि प्राथमिक शिक्षा मूल है, जहाँ सरकार निरूपित किये जाते हैं। ऐसे समय में शिक्षक का दायित्वबोध बढ़ जाता है। हमारी सरकार व जस्टिस की कमेटी द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गयी कि सुपरटेड में उत्तीर्ण प्रतिशत बहुत कम रहा, जिसके लिये शिक्षा मशीनरी को बहुत फटकार पड़ी। शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया और अभिकरणों की कार्यशैली को सुधारने की बात कही गयी। शिक्षक से केवल शैक्षिक दायित्वों सम्बन्धी कार्य ही लिये जाने चाहिये, तभी उन पर उनके दायित्वबोध हेतु दबाव बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ-सूची

- गाल एवं वार्ड (1995); शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ, उद्धरण, रामशकल पाण्डेय, विनोद प्रकाशन मंदिर, आगरा
- गार्डन, बी. (2015); शिक्षकों की जबाबदेही IJMR वेबसाइट
- गिब्सन (2002); उद्धरण (IBID)
- जैन, निकिता (2013); शिक्षकों की समायोजन क्षमता, लघु शोध-प्रबन्ध, लखनऊ
- जोसेफ (2019); शिक्षकों की जबाबदेही व राजनैतिक सम्बन्ध, रिसर्चगेट
- टॉड (2020); दायित्वबोध व प्रयोगात्मक प्रणाली, रिसर्चगेट
- बैग बिट (2018); जबाबदेही व समायोजन, रिसर्चगेट
- बिगमोर (2016); जबाबदेही व उत्तरदायित्व, रिसर्चगेट
- मिश्रा, एस. (1988); ट्रेन्ड्स एण्ड थाट्स इन एज्यूकेशन, वाल. 7
- यादव, नलिनी (1988); माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के दायित्वबोध का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन, लघुशोध प्रबन्ध, VBSPU जौनपुर
- सिंह, रवि (2021); स्नातक स्तर पर शिक्षकों के दायित्वबोध, शोध-प्रबन्ध, VBSPU जौनपुर
- साइमन (2017); दायित्वबोध के विकास, रिसर्चगेट
- सिंह, एन. पी. (2012); प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों के दायित्वबोध, वैचारिकी शोध जर्नल वर्ष-2, अंक -1